

प्रेस नोट दिनांक 26.11.2020

1. दिनांक 25.11.2020 को वादी उ०नि० श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. सिंकू वर्मा उर्फ योगेन्द्र वर्मा पुत्र लालजी गिर० 2. शिवम वर्मा पुत्र अरविन्द कुमार वर्मा नि०गण किशुनदासपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि०गण द्वारा नहर से गुजरने वाली लड़कियों पर छीटाकशी करना व अश्लील गाना गाना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर मे मु०अ०सं० 642/20 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 25.11.2020 को वादी श्री मो० सद्दाम पुत्र मो० हुसेन नि० किठांवा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० सुफियान पुत्र फूल मोहम्मद नि० किठांवा थाना रौनाही अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली देते हुए मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही मे मु०अ०सं० 553/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 25.11.2020 को वादी श्री आलोक कुमार यादव पुत्र काली प्रसाद यादव नि० भरहूखाता थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शेषू पुत्र अजबदार नि० नई बस्ती चौरे बाजार थाना को०बीकापुर अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा घर में घुसकर मारना पीटना, जान माल की धमकी देना तथा दुकान का काँच तोड़ देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०बीकापुर मे मु०अ०सं० 791/20 धारा 323, 506, 452, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 25.11.2020 को वादी श्री राम सागर पाल पुत्र राम जश पाल नि० रेवना थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बोलेरो संख्या यूपी 36 बी 4966 का चालक विनय कुमार नि० अहरन सुबंश थाना इनायतनगर अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की पुत्री को टक्कर मार देना जिससे दोनो पैर टूट जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 695/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 25.11.2020 को वादी श्री श्रीनाथ मिश्रा उर्फ दिनेश मिश्रा पुत्र राम प्रसाद मिश्रा नि० नन्दन का पुरवा महॉवा थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एटी 5252 ट्रक का चालक व 03 अज्ञात व्यक्ति वाहन संख्या यूपी 42 एटी 5252 ट्रक के चालक व 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रक को ओवर टेक करके खलासी महेन्द्र वर्मा को मारना पीटना जिससे हाथ टूट जाना, गाली व जान माल की धमकी देना, राड से मारकर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर देना तथा पर्स में रखा 70000 रू० छीन लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 696/20 धारा 323, 325, 427, 394, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 25.11.2020 को वादी उ0नि0 श्री राम अवतार राम थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोशन लाल पुत्र पचई नि0 चमारन का पुरवा मजरे गनेशपुर थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु0अ0सं0 476/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 25.11.2020 को वादी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम कुमार पुत्र स्व0 राम दुलारे नि0 नयापुरवा मजरे नरौली थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु0अ0सं0 477/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 25.11.2020 को वादी उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजू पुत्र राम खेलावन रावत नि0 बंजारा का पुरवा मजरे मोहम्मदपुर दाउदपुर थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु0अ0सं0 478/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।